

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय— 446, भूपालपुरा मेन रोड, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर तथा शाखा कार्यालय:— गांधी सेवा सदन के सामने, किशोर नगर, राज नगर, राजसमन्द -313324 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सी. के. बाबू

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स रॉयल एक्वा, (प्रोपराइटर — श्रीमती गिरजा कॅवर राव पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह राव) 230, सेवाली राजनगर, राजसमन्द (राज.) (ऋणी)
2. श्री नरेन्द्र सिंह राव पिता श्री प्रताप सिंह राव, वार्ड नं० 1, सेवाली राजनगर, राजसमन्द (राज.) (गारंटर)

—अप्रार्थीगण

किसम मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट	पत्रावली संख्या 01/2020	
क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 03/02/2020</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कार्यालय:— राजसमन्द ने दिनांक: 08-01-2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार खाता संख्या 59260617000091 के द्वारा 7,00,000/- रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति— श्री नरेन्द्र सिंह राव पिता श्री प्रताप सिंह राव के नाम भूमि व निर्माण आवासीय संपत्ति का प्लॉट नं० 12 जिसका क्षेत्रफल 1132.50 वर्गफिट है जो कि खसरा नं० 912, गावें सनवाड, राजनगर, राजसमन्द, जिला राजसमन्द में स्थित हैं। को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 31.05.2018 ऋण के भुगतान मे व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 59260617000091 में बकाया रूपये 5,80,121.28 (रूपये पाँच लाख अस्सी हजार एक सौ इक्कीस पैसे अठाईस मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.01.2019 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम कि धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 08.05.2019 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो की अप्रार्थीगण को तामील हो गये परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान</p>	



M

प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है उक्त धारा 13(2) का नोटिस प्रोपर तामिल होने कि दिनांक 08.05.2019 हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक मे रहन दस्तावेजो के अनुसार विवरण इस प्रकार है – श्री नरेन्द्र सिंह राव पिता श्री प्रताप सिंह राव के नाम भूमि व निर्माण आवासीय संपत्ति का प्लॉट नं0 12 जिसका क्षेत्रफल 1132.50 वर्गफिट है जो कि खसरा नं0 912, गावें सनवाड, राजनगर, राजसमन्द, जिला राजसमन्द में स्थित हैं। तथा जिसकी चारो सीमाएँ निम्न है :- पूर्व में :- आम रास्ता 30 फिट चौडा, उत्तर में :- प्लॉट संख्या 13, दक्षिण में :- अन्य आराजी भूमि, पश्चिम में :- प्लॉट संख्या 23, उक्त संपत्ति का पट्टा विलेख दिनांकित 09.12.2013 को उपपंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त चरण संख्या 05 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 08.05.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को प्रोपर तामिल होने की दिनांक: 08.05.2019 हैं। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी यूनियन बैंक द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है – श्री नरेन्द्र सिंह राव पिता श्री प्रताप सिंह राव के नाम भूमि व निर्माण आवासीय संपत्ति का प्लॉट नं0 12 जिसका क्षेत्रफल 1132.50 वर्गफिट है जो कि खसरा नं0 912, गावें सनवाड, राजनगर, राजसमन्द, जिला राजसमन्द में स्थित हैं। तथा जिसकी चारो सीमाएँ निम्न है :- पूर्व में :- आम रास्ता 30 फिट चौडा, उत्तर में :- प्लॉट संख्या 13, दक्षिण में :- अन्य आराजी भूमि, पश्चिम में :- प्लॉट संख्या 23, उक्त संपत्ति का पट्टा विलेख दिनांकित 09.12.2013 को उपपंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजसमन्द को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते



Handwritten signature or mark.



हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

